By Fax

संख्याः 72 /शा0वि0–248(सा0)/03 टीसी

प्रेषक

डी0के0गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।
2– मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम,
देहरादून।
3– समस्त अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद उत्तरांचल।
4– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, उत्तरांचल।

शहरी विकास विभाग देहरादूनः दिनांकः 12 मई, 2005

विषयः– 5 जून 2005 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

5 जून, 2005 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में आज प्रमुख सचिव एव आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल की अध्यक्षता मे विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम " ग्रीन सिटी–प्लान फॉर दॉ प्लेनेट" हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों की हरियाली एवं स्वच्छता पर इस बार विशेष बल दिया गया हैं।प्रमुख सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित नगर निगम एवं नगर पालिका परिषदों /नगर पंचायतो के अधिकारियों से विचार विमर्श के उपरान्त नगरीय क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

1– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन,पर्यावरण एवं ग्राम्य विकास द्वारा चाहा गया है कि जो कार्यक्रम स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार हेतु चलाये जाये वह केवल एक विशेष उत्सव की औपचारिकता बन कर न रह जाये बल्कि भविष्य में भी इन कार्यक्रमों को लगातार संचालित किया जाये । इस परिपेक्ष्य में उन्होने यह अपेक्षा की है कि प्रत्येक नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में प्रयोग के तौर पर कम से कम पांच पांच मौहल्लों में मौहल्ला स्वच्छता समितियों के माध्यम से Zero Waste कार्यक्रम चलाया जाये। नगर निगम में इस कार्यक्रम को कम से कम 10 मौहल्लों में 5 जून 2005 तक प्रारंभ कराया जाये।

2– उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे मौहल्लों / कालोनियों का चयन किया जाये जहॉ कूड़े को कम्पोस्ट बनाने के लिए मौहल्ले /कालोनियों में ही भूमि उपलब्ध हो। सम्भवतः घनी आबादी के क्षेत्रों में यह कार्यक्रम व्यवाहारिक नहीं होगा। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त द्वारा अपेक्षा की गई कि प्रत्येक निकाय 20, मई 2005 तक अपने अपने क्षेत्र में

ऐसी पांच पांच कालौनी एवं मौहल्लों का चयन कर लें जिनमें यह कार्यक्रम चलाया जाना हैं। इन मौहल्लों को तय करने के साथ साथ मौहल्ले का वह स्थल भी चिन्हित कर लिया जाये कि जहां मौहल्ले से निकलने वाले कूड़े को एकत्रित कर उसकी कम्पोस्ट खाद बनाई जानी है। प्रमुख सचिव द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि इन मौहल्लों में जहां मौहल्ला स्वच्छता समिति बनी हुई है वहॉ मौहल्ला स्वच्छता समिति के पदाधिकारी जन सहयोग एवं मौहल्ले के स्वच्छकार के माध्यम से यह कार्य सम्पादित करायें तथा जिन क्षेत्रों में मौहल्ला स्वच्छता समिति नहीं बनी है वहॉ 20–05–05 तक मौहल्ला स्वच्छता समिति का गठन कर लिया जाये ताकि कार्यक्रम के संचालन हेतु ऐसे व्यक्ति उपलब्ध हो, जिन्हें कार्यक्रम में रुचि हो।

3– उपरोक्त कार्यक्रम के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1.00मी0 X 1.00मी0X 1.05मी0 आकार के 100–100 बैगस् बडी नगर पालिकाओं को उपलब्ध कराये जायेगें । नगर निगम ,देहरादून को इस प्रकार के 200 बैगस् तथा छोटी नगर पालिकाओं व नगर पचायतों को 50–50 बैगस् प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड उपलब्ध करायेगा जिसमें कि प्लास्टिक को संग्रहित कर एकत्रित किया जायेगा। इसका व्यय भी उत्तरांचल प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड ही वहन करेगा।

4– मौहल्ले को " जीरो गारबेज जोन " बनाये जाने का तात्पर्य यह है कि मौहल्ले के कूड़े का श्रोत पर ही पृथकीकरण करते हुए जैव नाशकीय कूड़े की मौहल्ले में ही कम्पोस्टिंग कराई जाये तथा जैव–अनाशकीय (नॉन बॉयो ग्रेडेबल कूड़े) को मौहल्ले में ही एकत्रित कर इसे विकय कर दिया जाये। जैव–अनाशकीय कूड़ा (प्लास्टिक आदि) का संग्रहण करने में बी0सी0जी0 प्लास्टिक कम्पनी देहरादून आपकी सहायता कर सकती है। इनके पास लगभग 500 रेग पिकर (कूड़ा बिनने वाले व्यक्ति दर्ज हैं) जो कि प्लास्टिक आदि को एकत्रित कर उपरोक्त कम्पनी को निर्धारित मूल्य पर विकय करते हैं। मौहल्ला स्वच्छता समितियों के माध्यम से ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के बारे में विस्तृत निर्देश शहरी विकास विभाग के परिपत्र संख्या 3034/श0वि0वि/283/2003 दिनांक 1–1–04 द्वारा विगत में ही जारी किये जा चुके है तथा समय समय पर इस पर विचार विमर्श भी किया जा चुका हैं। मौहल्ले को " जीरो गार्बेज जोन " बनाने में उसमे यह सुधार किया गया कि मौहल्ले के कूड़े की प्रोसेसिंग कर वहीं इसका उपयोग कर लिया जाये जिससे कूड़े कचरे को ढोकर सुदूर स्थानों पर न ले जाना पड़े। संक्षेप में इसके लिये की जाने वाली कार्यवाही के प्रमुख बिन्दु आपको निम्न प्रकार से सूचित किये जा रहे हैं:–

अ– मौहल्ला स्वच्छता समिति अपने मौहल्ले के प्रत्येक घर में कूड़े को पृथक करके दो बाल्टियों में रखने के लिए, सभी मौहल्लेवासियों, विशेषकर सभी महिलाओं की बैठक मौहल्ले में दिनांक 20–05–05 से 31–05–05 के बीच में बुला ले तथा सभी को यह अवगत करा दें कि प्रत्येक घर में एक बाल्टी में जैवनाशकीय कूड़ा(रसोई के सब्जी के छिल्के एव अन्य गलनशील पदार्थ) रखे तथा दूसरी बाल्टी में प्लास्टिक ,कांच, धातू आदि सूखा जैव अनाशकीय कूड़ा रखे।

ब– मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा तैनात स्वच्छकार प्रत्येक घर से जैव–नाशकीय एवं जैव–अनाशकीय कूड़े का अलग अलग संग्रहण करेगा। जैव नाशकीय कूड़े को

मौहल्ले में ही निर्धारित स्थान पर गड्ढे में डाल कर उसकी कम्पोस्ट खाद बनाई जायेगी । गड्ढे में बदबू उत्पन्न न हो इसके लिये ईएम का स्प्रे भी किया जाये।

स– घरों से संग्रहित प्लास्टिक आदि जैव–अनाशकीय कूड़े को विक्रय कर दिया जाये। इसके लिए बी0सी0जी0 प्लास्टिक कम्पनी अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्साल्टेन्ट श्री विपिन कुमार का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता हैं।

द– उपरोक्त कार्यो हेतु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि दिनांक 20–05–05 तक मौहल्लों का, मौहल्ले में कम्पोस्टिंग के स्थान, काम करने वाले व्यक्ति एवं समिति के सदस्यों का चयन कर लिया जाये तथा दिनांक 20–05–05 से 31–05–05 तक मौहल्लों में बैठक कर ली जाये। दिनांक 05 जून,05 को इन मौहल्लों में घर घर से पृथकीकृत कूड़े का वास्तविक संग्रहण का कार्य एक अभियान के रुप में प्रारम्भ कर दिया जाये।

जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों को कृपया नगर निकायो को प्रेषित करते हुए उन्हें मार्ग निर्देशन प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0के0गुप्ता)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–

1– निदेशक, शहरी विकास को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नगर निकायों को अपने स्तर पर भी इस बारे में निर्देशित करते हुए कार्यक्रम का समन्वय करें एवं दिशा निर्देश प्रदान करें। वर्ष,2005–06 के बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु समुचित धनराशि का प्रावधान भी कराया गया है। अतः इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने का कष्ट करे।

2– आयुक्त कुमायू मन्डल /गढवाल मन्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन,पर्यावरण एवं ग्राम्य विकास,उत्तरांचल शासन को उनके निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

4– मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन के अवलोकनार्थ।

5– निजी सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

6– सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

8– निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून।

(डी0के0गुप्ता)
अपर सचिव।